>

Title: Need to protect crops from the menace of wild animals in Buxar, Vaishali and Muzaffar Pur districts in Bihar.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, किसानों की पीड़ा अनंत है। उनका वर्णन कहां-कहां किया जाए। मैं हाल ही में बक्सर, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में गया था जहां बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मुझे किसानों ने जाते-जाते कहा कि नीलगायों से जान बचाइए। नीलगाय जिसे घोर खराश भी कहते हैं, कहीं घोर गहर कहते हैं। वहां जंगली सूअर और बंदर तीनों मिलकर सारी फसलों की बर्बादी कर रहे हैं। किसान उन्हें कानून, सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण, वाइल्ड एक्ट आदि के भय से मार नहीं सकते। लेकिन उनकी तैयार फसल, लहलहाती फसल, पेड़-पौधे नीलगाय, दिलबकरी, घोर गहर आदि से बर्बाद हो रहे हैं। राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, कलैक्टर के यहां भी लिखा-पढ़ी हुई है कि किसानों की फसलों को जानवरों से बचाया जाए, रक्षा की जाए। अगर उनकी फसलों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें मुआवजा मिले नहीं तो जो सरकार लोगों को मच्छर, डेंगू से नहीं बचा सकती, सरकार मच्छर भी नहीं मार सकती, नीलगाय, सूअरों और बंदरों से किसानों को नहीं बचा सकती, तो सरकार का क्या मतलब है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बारे में सरकार वक्तव्य दे कि उसकी क्या पॉलिसी है। नीलगाय, नीलबकरी आदि से किसानों की फसलों की जो बर्बादी हो रही है, उससे बचाव कैसे हो।...(व्यवधान) उन्हें मुआवजा मिले। इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।...(व्यवधान) यह देश के विभिन्न हिस्सों का विषय है।...(व्यवधान)